663 656 1Rs

INDIA

एक रुपया — ONE RUPEE — सत्यमेव जयते — भारत — एक रुपया — ONE RUPEE

पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) ...
... भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
... 23 I A with the
Permission by L.R.D.C
Simdega vide case No. 162/18-19
order dt. 3-10-18

विक्रय पत्र

(1) लेखकारी:- जितबाहन प्रधान पिता स्व0 मनबोध प्रधान
जाति- गोंड़, पेशा- खेती गृहस्थी, साकिन मौजा- खरवाटोली,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
आधार कार्ड संख्या 2681 6466 5577

...... विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 501/2018

होल्डिंग नं0 0120000354000स्म. 0

अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित की सूची में
बस, पहाड़ का खाता नं0 नहीं है।
28.11.18

उपरोक्त दस्तावेज ... 28-11-18

कृष्णा सही ... 27/11/2018

अमित कुमार केशरी
पिता - श्री शिवनारायण केशरी
... सिमडेगा
27/11/2018

जिला कोषागार पदाधिकारी
11 SEP 2018
सिमडेगा

क्रमांक 10438 तारीख 19.11.2018

नाम फुलमनी खाखा

गोतरा सिमडेगा

सिमडेगा केवाला

मूल्य 1x1 10438

Sabina Rajendra singh

एस आर सिंह
(मुद्रांक विक्रेता)
सिमडेगा कोर्ट सिमडेगा
लाईसेन्स न०- 04/98

1x1=1/-

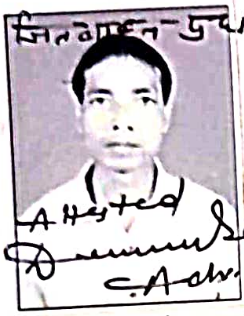

जितवाहन प्रधान

Attested
Adv.
27.11.2018

टेपा सही
जितवाहन प्रधान
ब: क: राजेन्द्र लकड़ा
27/11/2018
28/11/2018

जिला अवर निबंधक सिमडेगा (झारखण्ड)

28.11.18 10 to 1

[illegible] कार्यालय में [illegible]
[illegible] के [illegible]
द्वारा प्रमाणीकृत है।

श्री / श्रीमती जितवाहन प्रधान
पिता / पति श्री मुक्तमनवाध प्रधान
खरवाटोली [illegible]
गोड़

§2§ लेख्यधारिणी:- श्रीमती फुलमनी खाखा पति श्री राजेश खाखा, जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, साकिन मौजा- गोतरा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 8986 9078 7771

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 502/2018

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग दो लाख पचास हजार रुपये अंके 2,50,000/- रुपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात पाँच डिसमिल जमीन अंके 0.05 एकड़ जमीन हकियतकास्त कायमी रैयती खतियानी अन्दर मौजा- सिमडेगा बाजारटोली वार्ड नं0 12, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 117 §एक सौ सतरह§ प्लाट नं0 23 §तेईस§ रकवा 3.30 एकड़ में से 0.05 एकड़ §पाँच डिसमिल§ आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसका चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लाट का अंश,

दक्षिण:- इसी प्लाट का अंश,

पूरब :- प्लाट नं0 59,

पश्चिम:- इसी प्लाट का अंश रास्ता 10 फीट,

मालगुजारी 5 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री नहीं किया हूँ ।

27/11/2018

नाम - विकास कुमार केसर
ग्राम - डाकुटोली थाना - सिमडेगा
पोस्ट - सिमडेगा, जिला - सिमडेगा
(झारखण्ड) 27/11/2018

चूँकि मुझ लेख्यकारी को इस समय आवश्यक घरेलू खर्च वो मकान बनाने हेतु रुपये की अति आवश्यकता है किन्तु रुपये पाने का कोई भिन्न उपाय नहीं है सिवाय जमीन रैयती बेचने के । फलतः मैंने उपरोक्त लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने का आग्रह किया और उन्होंने जमीन लेना स्वीकार की । किन्तु हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं फलतः मैंने जमीन बेचने की अनुमति हेतु एक आवेदन अन्दर दफा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के अदालत में दायर किया जिसका मुकदमा संख्या सी॰एन॰टी॰ नं0 162/2018-19 है तद्नुसार मेमो नं0 1067(1) दिनांक 3·10·2018 को जमीन बेचने का अनुमति प्राप्त हुआ । मैंने वर्णित मूल्य नगद वसूल वो अदाय पाकर अपनी मन इच्छा वो शरीर की स्वस्थता में रहकर यह विक्रय पत्र केवाला लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित-विक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद हक एवं दखल कब्जा है तथा किसी प्रकार का भार या झगड़ा झंझट नहीं है । वर्णित जमीन का खतियानी रैयत रघुवर गोंड़ था । वर्णित जमीन खतियानी रैयत के बेटों के बीच आपसी मैयादी बँटवारे में मेरे दादा को हिस्सा में मिला तथा मेरे दादा जगतपाल गोंड़ की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के आधार पर उनके तीन बेटों के दखल में रहा । मेरे पिता एवं चाचा के आपसी बँटवारे में वर्णित जमीन मेरे पिता मनबोध प्रधान को हिस्सा में मिला तथा हम चार भाईयों के बँटवारे में मुझे हिस्सा में मिला है । वर्णित जमीन मेरे दखल कब्जा एवं हिस्से की जमीन है । विक्रीत जमीन का वर्तमान जमाबन्दीदार जगतपाल गोंड़ वगैरह थे । तथा सरकारी मालगुजारी रसीद भी जगतपाल गोंड़ वगैरह के नाम

हस्ता. साक्षी
27/11/2018

से कटती है जो पंजी II के भोल्युम नं0 1, पेज नं0 170 में दर्ज में दर्ज है । मैं खतियानी रैयत रघुबर गोंड़ का परपोता हूँ । अब से उक्त जमीन का सारा हक लेख्यधारिणी को हस्तान्तरित कर दिया । अब इसपर मेरा किसी प्रकार का कोई हक सरोकार रहा न रहेगा न ही मेरे किसी भी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी खरीदगी जमीन पर दखलकार होकर वो रहकर जैसा उन्हें सुविधा हो आबाद करें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी सिमडेगा के जमीन्दारी सिरिस्ते से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर निश्चित लगान की खास रसीद लिया करें ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोबस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

27/11/2018

मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन को बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

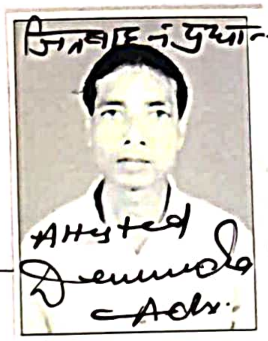

27.11.2018

टेपा सही
जितबाहन प्रधान
पि: को: राजेन्द्र...
27/11/2018

प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया

Demuncha Nag.
Adv.
27.11.2018

मैं लेखयधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन को खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

फुलमनी खाखा
27/11/2018

27.11.2018

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया

Demuncha Nag.
Adv.
27.11.2018

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Jaymuda xl ng.

(प्रारूपकर्त्ता) Adv
तारीख:- 27.11.2018.

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
27-11-2018

मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. विक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्त्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. खतियान का छायाप्रति,
3. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
4. शेड्यूल का मूल प्रति,
5. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या । का मूल प्रति,